बजट पूर्व अंक

# बजट समाचार

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

त्रैमासिक | अंक 43 | जनवरी - मार्च 2013 | सीमित प्रसार के लिए

## सम्पादकीय

इस वित्तीय वर्ष (2012–13) के 3 तिमाही गुजर चुके हैं तथा सरकारी विभागों द्वारा नया बजट बनाने का कार्य ज़ोरों पर है। पिछले बजट की घोषणाओं के प्रगति की समीक्षा तथा राज्य की वित्तीय स्थिति का जायज़ा लेने का यह सही वक्त है। बजट समाचार के इस बजट पूर्व अंक में हमने राज्य सरकार के कुल 15 विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के अध्ययन को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन की पूर्ण रिपोर्ट बार्क के वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है या आप हमें इसके लिये पत्र भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इस अंक में वर्तमान वर्ष में राज्य की आय तथा व्यय के नवंबर माह तक के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण भी दिया जा रहा है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से जाहिर होता है कि सरकार का आयोजना खर्च इन 8 महीनों में केवल 40 प्रतिशत तक ही हो पाया है जो राज्य में आयोजना के धीमे क्रियान्वयन को दिखाता है। साथ ही बजट समाचार के इस अंक में राज्य की विधवा महिलाओं तथा बच्चों के लिये कुल बजट आंवटन का आंकलन प्रस्तुत किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र राज्य सरकार के साथ राज्य के आमजनों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनवकालत (एडवोकेसी) का प्रयास भी करता रहा है। इस दिशा में बार्क ने दो बजट पूर्व कार्यशालाओं का आयोजन किया जिससे निकले सुझावों तथा मांगों को माननीय मुख्यमंत्री, वित्त विभाग तथा अन्य विभागों को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा बार्क ने एक दिवसीय कृषि सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिससे उभरे सुझावों को कृषि विभाग तथा राजस्थान किसान आयोग को प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने जेण्डर बजट विवरण देना भी आरंभ किया है, जिसमें कई खामियां हैं। राज्य में जेण्डर बजट को सदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार ने राज्य आयोजना समिति में इस विषय पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया है, जो सरकार को इस संबंध में अपने सुझाव देगा। बार्क ने इस समूह के समक्ष राज्य के जेण्डर बजट के संबंध में अपने सुझावों को प्रस्तुत किया।

इस अंक में हमने कृषि सम्मेलन से उभरे सुझावों तथा जेण्डर बजट पर बार्क के सुझावों को भी शामिल किया है। आशा है यह अंक आपको उपयोगी लगेगा। आपके सुझावों तथा टिप्पणीयों का स्वागत है।

नये वर्ष की शुभ कामनाओं सहित,

– **बार्क टीम**

## वर्ष 2012–13 की बजट घोषणाओं की प्रगति

बजट समाचार के इस "बजट पूर्व" अंक के लिये हमने कुछ महत्वपूर्ण विभागों के संबंध में बजट 2012–13 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन करने का प्रयास किया। इसके लिए पशुपालन, वन एवं पर्यावरण, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, कृषि, अल्पसंख्यक मामलात, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, श्रम कल्याण, उद्योग विभागों से बजट घोषणाओं की प्रगति की सूचना प्राप्त करने की कोशिश की गई।

सूचना प्राप्त करने के प्रथम चरण में उपरोक्त विभागों की विभागीय वेबसाईट का अध्ययन किया गया। बजट घोषणाएं 2012–13 की प्रगति की नवीनतम जानकारी केवल पंचायती विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध थी जबकि जनजातीय क्षेत्रीय विकास, पशुपालन तथा शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाईट पर बजट घोषणाओं की एक या दो माह पुरानी जानकारी का ब्यौरा उपलब्ध था।

इसके बाद बार्क सदस्य उपरोक्त सभी विभागों में सूचना प्राप्त करने स्वयं गए। बजट घोषणाओं की प्रगति की सूचना चाहे जाने पर 15 में से 14 विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई गई। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बार बार संपर्क करने पर भी बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

**बजट घोषणाओं की सूचना का स्तर** – बजट घोषणाओं की जानकारी देने वाले विभागों ने जो सूचना उपलब्ध करवाई, उसमें कई विभागों द्वारा सभी घोषणाओं का जिक्र नहीं किया गया। जैसे कृषि विभाग से संबंधित 10 घोषणाएं की गईं लेकिन विभाग द्वारा केवल 8 घोषणाओं की प्रगति की सूचना ही दी गई। श्रम कल्याण विभाग द्वारा 8 घोषणाओं में से केवल 3 घोषणाओं की सूचना उपलब्ध करवाई गई। इसी तरह नगरीय विकास एवं ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग द्वारा भी सभी घोषणाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

**बजट घोषणाओं की प्रगति जानना आसान नहीं।**
**सभी घोषणाओं की नहीं मिलती जानकारी**
**घोषणाओं की भौतिक स्थिति की भी जानकारी नहीं**

**पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति** – वर्ष 2012–13 के बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के स्तर को जानने के लिए उपरोक्त 14 विभागों की कुछ मुख्य घोषणाओं की दिसम्बर 2012 तक की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

**कृषि विभाग**

- जोधपुर तथा सुमेरपुर में कृषि महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- 10000 फार्म पोण्ड्स व 5000 डिग्गीयां बनाने के विरूद्ध 4260 फार्म पोण्ड्स एवं 595 डिग्गीयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारी के 750 पदों पर भर्ती होना अभी बाकी है।
- कृषि विषय की छात्राओं को 5, 10 एवं 15 हजार रू. प्रोत्साहन राशि दिया जाना बाकी है।
- कृषकों को अनुदान देकर 2200 सौर उर्जा आधारित पंपसेट स्थापित करने की बात कही गई लेकिन विभाग ने इसकी प्रगति की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

**पशुपालन विभाग**

- राज्य में पशुधन निशुल्क दवा योजना का क्रियान्वयन 15 अगस्त 2012 से प्रारम्भ हो गया है।
- 400 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।
- केटल फीड प्लांट एवं पाउडर मिल्क प्लांट का निर्माण कार्य प्रारम्भ होना बाकी है।

**वन एंव पर्यावरण विभाग**

- चोटग्रस्त वन्यजीवों के उपचार के लिये 5 रेसक्यू सेंटर खोलेने के विरूद्ध 2 रेसक्यू सेंटर का कार्य प्रगतिरत है।
- सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में 1800 रू. के अनुदान पर 5000 गैस कनेक्शन देने की बात कही गई थी लेकिन गैस कनेक्शनों का वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ है।

**जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग**

- अनुसूचित क्षेत्रों एवं कथौडी बस्तियों में 185 मां–बाडी केन्द्र प्रारम्भ हो गये है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 6 हजार युवाओं को स्वरोजगार हेतु 10 हजार रु. तक का अनुदान देने के विरूद्ध 1069 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया है।
- उदयपुर में राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका है।

शेष पृष्ठ 2 पर

## 2012–13 में सरकार की आय एवं व्यय : पहले 8 माह के आंकड़ों की समीक्षा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2012–13 का बजट पेश करते समय राज्य बजट को तकरीबन 397 करोड़ रु. का सरप्लस (बजट आधिक्य) रखना प्रस्तावित किया था। यानि कि सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राज्य के कुल खर्चों की तुलना में आय 397 करोड़ रू. अधिक होने का अनुमान किया गया था। लेकिन अभी तक के उपलब्ध आय–व्यय के आंकड़ों के अनुसार बजट के सरप्लस रहने जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी नवम्बर, 2012 तक के आंकड़ों के अनुसार सरकार अभी तक विभिन्न स्रोतों से 38461.59 करोड़ रु. की आय अर्जित कर चुकी है, जबकि आयोजना, गैर आयोजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा ऋणों के पुनर्भुगतान मदों के तहत कुल 40483.87 करोड़ रु. व्यय हो चुके हैं। अतः विगत 8 माह में 2022.28 करोड़ रु. का बजट घाटा हो गया है जबकि वर्तमान में करीब 888 करोड़ रु. का राजकोषीय आधिक्य चल रहा है। प्रस्तुत विश्लेषण में सरकार के आय एवं व्यय पक्ष की वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**सरप्लस बजट की आशा नहीं**
**8 माह में आयोजना का केवल 40% ही हो पाया खर्च**

**सरकार की आय** :

सरकार द्वारा प्राप्त की गयी आय की अभी तक की उपलब्धि को देखा जाये तो सरकार ने इस वर्ष (2012–13) में 71956.60 करोड़ रु. की आय होना अनुमानित किया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नवम्बर, 2012 तक के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार ने नवम्बर तक यानी वर्ष के 8 महीनों में राजस्व एवं पूंजीगत खातों के तहत कुल 38461.59 करोड़ रु. की आय प्राप्त की है, जो इस वर्ष की अनुमानित आय की करीब 53.45 प्रतिशत है। यह राशि गत वर्ष की इसी समयावधि तक के प्रतिशत से भी कुछ कम ही है।

**सरकार के व्यय की स्थिति एवं दिशाएं** :

**गैर आयोजना व्यय :** इसी प्रकार से सरकार के व्यय पक्ष को देखते हैं तो सरकार के गैर आयोजना व्यय में राजस्व सेवाओं पर इस वर्ष में व्यय हेतु अनुमानित की गयी राशि में से करीब 60.88 प्रतिशत व्यय हो चुकी है। जबकि गैर आयोजना व्यय में पूंजीगत सेवाओं पर विगत 8 माह में पूरे वर्ष के लिये प्रस्तावित राशि से भी अधिक राशि व्यय हो चुकी है। इसी प्रकार गैर आयोजना मद के अन्तर्गत ही ऋण वितरण पर नवम्बर तक यानि कि 8 माह में ही 113.33 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके हैं, जो कि पूरे वर्ष के लिये प्रस्तावति राशि 25 लाख रु. का 44883.17 प्रतिशत है। अतः इस मद के तहत ऋण वितरण पर किया गया व्यय प्रस्तावित राशि से कई गुना अधिक है। यह स्थिति सरकार के अनियोजित व्यय के तरीके को दर्शाती है।

**आयोजना व्यय :** राज्य में आयोजना व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत दोनों ही व्यय की उपलब्धि गत 8 माह में मात्र तकरीबन 40 प्रतिशत रही है। इससे जाहिर होता है कि राज्य में योजनाओं के क्रियांवयन की गति धीमी है। अब सरकार को कुल प्रस्तावित आयोजना व्यय का 60 प्रतिशत शेष 4 माह खर्च करना होगा। जबकि इसके विपरीत आयोजना मद में भी ऋण एवं अन्य वितरण पर विगत 8 माह में 873.88 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके है, जो कि इस मद के अन्तर्गत पूरे वर्ष हेतु प्रस्तावति राशि 11.5 करोड़ रु. का 7601.67 प्रतिशत है। अतः यह दशा सरकार के असंतुलित एवं अनुपयुक्त व्यय को इंगित करता है।

**केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) पर व्ययः** उपरोक्त दोनों मदों की तरह ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) पर किये गये व्यय की स्थिति देखते हैं तो इस वर्ष प्रस्तावित राशि में से नवम्बर तक इस मद में राजस्व एवं पूंजीगत खातों के तहत भी मात्र क्रमशः 41.01 एवं 40.7 प्रतिशत राशि ही व्यय हो पाई है। इसके विपरीत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत भी ऋण एवं अन्य वितरण पर इस वर्ष की प्रस्तावित राशि की करीब 91.3 प्रतिशत राशि नवम्बर तक ही खर्च हो गयी है।

कुल मिलाकर सरकार के व्यय पक्ष में राजस्व एवं पूंजीगत खातों के तहत व्यय हुई राशि की स्थिति विगत वर्ष इसी समयावधि तक व्यय हुई राशि की तुलना में तो ठीक कही जा सकती है। लेकिन आयोजना मदों के तहत विगत 8 माह में इस वर्ष के प्रस्तावित अनुमान की आधे से भी बहुत कम मात्र तकरीबन 40 प्रतिशत राशि व्यय हो पाई है। यह राज्य में वार्षिक आयोजना के क्रियांवयन की धीमी रफ्तार को इंगित करता है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में अभी तक ऋण एवं अन्य वितरण पर होने वाला कुल व्यय 1020.50 करोड़ रु. हो गया है, जो इस वर्ष की प्रस्तावित राशि का 2117.22 प्रतिशत है। यह तीनों ही मदों आयोजना, गैर आयोजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (सी.एस.एस.) के तहत बहुत अधिक है। सरकार द्वारा ऋण वितरण पर किये जाने वाले व्यय में किन्ही विशेष उद्देश्यों हेतु प्रदान किये जाने वाले ऋणों की राशि शामिल होती है। इसके अलावा राज्य में विगत 8 माह में 2022.28 करोड़ रु. ऋणों के पुनर्भुगतान पर व्यय किये गये हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विगत 8 माह में सरकार के आय पक्ष की उपलब्धि अच्छी रही है लेकिन सरकार का व्यय बड़ा ही असंतुलित एवं अनियोजित तरीके से हो रहा है। सरकार द्वारा आयोजना मदों के तहत कम व्यय होना कार्यक्रमों एवं योजनाओं की धीमी गति को इंगित करता है।

पृष्ठ 1 का शेष ...वर्ष 2012–13 की बजट घोषणाओं की प्रगति

**समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

- राज्य में 8 वर्ष से कम आयु के निशक्त जनों के लिये 250 रू. पेंशन प्रारम्भ कर दी गई है।
- अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजना में शामिल कर लिया गया है।
- राज्य में 13 विमंदित गृह एवं 6 वृद्धाश्रमों का संचालन प्रारम्भ किया जाना अभी बाकी है।
- निराश्रित संबल योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये 10 छात्रावासों के निर्माण की बात कही गई लेकिन एक भी छात्रावास का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- विभाग में विभिन्न स्तर के 848 पदों के विरूद्ध केवल 31 पदों पर पदस्थापन किया गया है।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

- मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना में 10 लाख निशुल्क आवास उपलब्ध करवाने के विरूद्ध अब तक 183356 आवासों का कार्य पूर्ण किया गया है।
- 3300 विद्यालयों एवं 5000 आंगनबाडियों में टॉयलेट्स के निर्माण के विरूद्ध मात्र 1772 स्कूल एवं 149 आंगनबाडीयों में शौचालय निर्माण पूर्ण हो सका है।
- पंचायतों में 23000 नवीन पद सृजित करने के विरूद्ध 265 पद सृजित किये गये हैं।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं हो सका है।

**शहरी विकास एंव स्थानीय स्वशासन विभाग**

- मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में 1 लाख शहरी बीपीएल परिवारों को आवास हेतु 50000 रू. की सहायता देने के विरूद्ध 10088 लाभार्थीयों की सूची बनाई गई है।
- जयपुर में मेट्रो रेल के प्रथम चरण का कार्य तथा रेल परिचालन जून 2013 में प्रारम्भ होने की बात कही गई थी लेकिन कार्य की प्रगति योजनानुसार बहुत धीमी है।
- 4 जिलों में 10 रेल ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- स्थानीय निकायों में 20,000 सफाई कर्मियों के पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है।

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

- महिलाओं को उत्पीडन से बचाने के लिये महिला हैल्पलाईन का संचालन प्रारम्भ हो गया है।
- सभी 33 जिलों में से केवल 3 जिलों में ही धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र खोले जा सके हैं।

**शिक्षा विभाग**

- 20000 शिक्षकों की भर्ती करने के विरूद्ध 6500 वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति हो सकी है।
- उर्दू विषय में कुल 800 स्कूल व्याख्याताओं एवं शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाना बाकी है।
- राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना में लर्निंग लैपटॉप्स का वितरण नहीं हो सका है।
- राज्य की 79 में से 77 ग्राम पंचयतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
- जोधपुर व कोटा में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय खोला जाना अभी बाकी है।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

- नवजीवन योजना के समस्त जिलों को मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना का लाभ मिलना प्रारम्भ हो गया है।
- लिंग परीक्षण पर नियंत्रण के लिये एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन हो गया है।
- 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3000 नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र खुलने अभी बाकी है।
- 108–एम्बुलेंस की संख्या में 200 की बढ़ोतरी करने की बात कही गई लेकिन विभाग द्वारा 108–एम्बुलेंस की संख्या में बढोतरी की जानकारी नहीं दी गई।
- एन.आर.एच.एम. में 21000 नियमित पदों पर नियुक्ति दिया जाना अभी बाकी है।
- 3000 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु ए.एन.एम एवं 210 नेत्र सहायकों की भर्ती नहीं हो सकी है।

**श्रम कल्याण विभाग**

- राज्य में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक के न्यूनतम मज़दूरी बढाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।
- राज्य में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क साईकिल वितरण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- अंसगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा प्रारम्भ नहीं हुआ है।

**उद्योग विभाग**

- स्वाबलंबन योजना में 3000 युवाओं के विरूद्ध मात्र 382 को ऋण दिया गया हैं।

**जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग**

- अनुसूचित जाति की 7500, अनुसूचित जनजाति की 300 एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य 120 गांवों, ढाणियों में पेयजल देने के विरूद्ध अनुसूचित जाति की 168, अनुसूचित जनजाति की 127 एवं 141 अल्पसंख्यक बस्तियों में पेयजल दिया गया है।
- राज्य में 3796 करोड़ रू. की पेयजल परियोजनायें प्रारम्भ करने की घोषणा की गई लेकिन सभी परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
- जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी के सहयोग से नागौर लिफ्ट परियोजना में 617 करोड़ रू. के कार्य करवाने के विरूद्ध परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
- चंबल से बूंदी को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 80 करोड़ रू. की लागत से ट्रांसमिशन पाइपलाइन स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया जाना अभी बाकी है।

**जल संसाधन विभाग**

- विभिन्न परियोजनाओं द्वारा 28966 हैक्ट्रेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने के विरूद्ध मात्र 4661 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित हो सका है।
- 6 जिलों में 7 नई लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ करने की बात कही गई जिनमें से किसी भी परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सरकार अभी मार्च माह में वर्ष 2013–14 का राज्य बजट प्रस्तुत करेगी तथा आमजन के विकास से जुड़े मुद्दों पर अहम घोषणाएं करेगी। लेकिन घोषणाएं कर देना ही काफी नहीं है घोषणाओं के साथ सतत निगरानी एवं मूल्यांकन भी आवश्यक है। हांलांकि राज्य सरकार सी.एम.आई.एस. के माध्यम से बजट घोषणाओं की प्रगति की निगरानी करती है, लेकिन आम आदमी यदि बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी लेना चाहे तो वह असम्भव सा है। एक तरफ विभाग बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जनता को बताना आवश्यक नहीं समझते तथा काफी भागदौड़ के बाद भी आधी अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जिसमें केवल फाइलों के प्राप्त होने तथा भेजे जाने की तिथी एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने की तिथी का विवरण होता है एवं इस आधार पर भौतिक प्रगति का आंकलन कर पाना मुश्किल होता है।

## राज्य में विधवा महिलाओं के लिए बजट एवं योजनाएं

2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 15.90 लाख विधवा महिलाएं है। इनमें से 12.44 लाख विधवा महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3.46 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। यह कुल महिला जनसंख्या का 5.85 प्रतिशत है। वर्ष 2011 की कुल महिला जनसंख्या 3.30 करोड़ है, परन्तु इस वर्ष विधवा महिलाओं के आकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। 2001 में राज्य की कुल महिलाओं में विधवा महिलाओं के प्रतिशत (5.85) के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में, राज्य में 19.37 लाख विधवा महिलाएं होंगी, जो वर्ष 2001 से 21.85 प्रतिशत अधिक हैं।

### राज्य में लगभग 20 लाख विधवा महिलाएं विभागों के पास नहीं है लाभार्थियों में विधवा महिलाओं के आंकड़े

हमारे समाज में विधवा शब्द एक अभिशाप से कम नहीं है। भारतीय समाज में विधवाओं का जीवन अत्यन्त कठिन है तथा वे विभिन्न सामाजिक रीतीयों एवं बंधनों की शिकार होती हैं। सवाल यह है कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने व सक्षम बनाने के लिये क्या प्रयास किये जाने चाहिये व उसका उतरदायित्व किसका है ? भारतीय संविधान द्वारा सबको जीने का अधिकार देने के साथ ही संविधान के नीतिनिर्देशक धाराओं में राज्य को सभी नागरिकों को रोजगार देने एवं बेरोजगारों, बुढ़ों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सहायता प्रदान करने तथा सभी नागरीकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के निर्देश दिये गये हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। इस आलेख में राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के कल्याण एवं विकास के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा विधवाओं के लिये विधवा पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा कुछ अन्य विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी विधवा महिलाओं को लाभार्थीयों की सूची में शामिल किया गया है।

राजस्थान में विशेष रूप से विधवा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाएं निम्न हैं:–

1. विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. विधवा पुर्नविवाह योजना
4. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता योजना

उपरोक्त योजनाएं राज्य की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध एवं कारगील युद्ध के शहिदों की विधवाओं की सहायता के लिये भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

हालांकि राज्य सरकार पहले से ही किसी भी उम्र की विधवा महिलाओं, जो बीपीएल में हों तथा जिनके परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष ना हो, को पेंशन देती आ रही है। परन्तु वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार की सहायता से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत 40 से 59 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं जो केन्द्रीय बीपीएल सूची में हो को 500 रू. प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार अगर कोई विधवा, वृद्ध व निःशक्त जन है तो उसे कोई एक पेंशन ही प्राप्त होगी। वर्तमान में इन दोनों योजनाओं को मिलाकर राज्य की करीब 4 लाख विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, जो राज्य में कुल अनुमानित विधवा महिलाओं की संख्या का लगभग 21% है।

राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि 15000/रू. दी जाती है। विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवारों की विधवाएँ, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला वयस्क सदस्य नहीं है, की पुत्रियों के विवाह के लिए राज्य सरकार ने 10,000/रूपये देने का प्रावधान किया है।

**विधवा महिलाओं के लिये बजट आवंटन**

उपरोक्त योजनाओं पर राज्य सरकार का कुल बजट वर्ष 2012–13 (बजट अनुमान) में 226.83 करोड़ रू. है। निम्न सारणी में पिछले पांच वर्षों में विधवा महिलाओं के कल्याण कार्यक्रमों के लिये आंवटिंत कुल बजट को दर्शाया गया है।

**विधवाओं के लिये कुल बजट आवंटन**

| वर्ष | कुल बजट (रू. करोड़ में) |
|---|---|
| 2008–09 | 137.60 |
| 2009–10 | 143.47 |
| 2010–11 | 180.47 |
| 2011–12 (संशोधित अनुमान) | 224.82 |
| 2012–13 (बजट अनुमान) | **226.83** |

स्रोतः बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

विधवा महिलाओं के योजनाओं की आंवटित कुल राशि में 93.95 प्रतिशत की राशि विधवा पेंशन पर खर्च होती है। शेष राशि विधवाओं के पुनर्विवाह तथा उनकी पुत्रियों की शादी तथा युद्ध शहीदों की विधवाओं को दी जा रही सहायता पर खर्च की जाती है।

विशेष रूप से विधवा कल्याणकारी योजनाओं के बजट विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विधवा पेंशन में लाभार्थियों की संख्या व बजट का व्यय निरन्तर रूप से बढ़ रहा है। परन्तु वहीं दूसरी और विधवा पुर्नविवाह व विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु सहायता योजनाओं के बजट आवंटन व व्यय में वर्ष 2010–11 से निरन्तर रूप से गिरावट आई है।

**अन्य विभागों की योजनाएं**

यहां सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं जिनमें विधवा महिलाओं को लाभार्थियों की श्रेणी में रखा गया है, की चर्चा की गई है। जैसे पालनहार, इन्दिरा गॉधी वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्त जन पेंशन योजना, महिला स्वयंसिद्व योजना व उद्योग विभाग के माध्यम से महिला शिक्षण विहार, व्यवसायिक कौशल, उन्नयन एवं अभिवृद्धि प्रशिक्षण कैम्प, महिला रोजगार व प्रशिक्षण व महिला गृह उद्योग जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में विधवाओं को भी लाभ पहुॅचाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में विधवाओं को लाभ पहुॅचाने वाली एक मात्र 'स्वावलम्बन योजना' जिसका उद्देश्य है की निर्धन, विधवा, परिव्यक्ताओं एवं पिछड़ी महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु उन्हें पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों का प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना। इस योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत एकल नारी/विधवाएं/एड्स पीड़ित/परिव्यक्ता महिलाओं को लाभार्थीयों में रखा गया है।

राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 (1) एवं 158 (2) प्रावधानों के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गो के परिवार को ग्राम पंचायतों द्वारा 150 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित किया जाता है। इसमें भी 30 प्रतिशत विधवा महिला लाभार्थी हैं। राज्य स्तर पर लाभार्थी विधवा महिलाओं की संख्या के आकड़े उपलब्ध नहीं है।

हालांकि इन योजनाओं में जहां विधवा महिलाओं को लाभार्थीयों की श्रेणी में शामिल किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन विभागों के पास इन योजनाओं में लाभार्थियों के कोई आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

# राजस्थान में बच्चों की स्थिति एवं बजटीय प्रावधान

किसी भी देश की खुशहाली उसके बच्चों के विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। एन.एस.एस के 61वें दौर के सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में 37 प्रतिशत भाग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का है । 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 0–14 वर्ष जनसख्या 39.89 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 0–6 जनसंख्या 15.31 प्रतिशत है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेषण के अनुसार बच्चों को जन्म से ही उनकी पहचान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन एवं समानता आदि के अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यह बाल अधिकारों को मुख्यतः बच्चों के जीने का अधिकार, विकास का अधिकार , सुरक्षा का अधिकार एवं सहभागिता के अधिकारों मे बांटता है । भारत सरकार ने भी बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिवेषण को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान में भी न सिर्फ बच्चों के मानव अधिकारों की सुरक्षा को सुनिशचित किया गया है, बल्कि उनके विकास के लिए अवसर और सुविधाएं भी प्रदान करने के प्रावधान किए हैं। परन्तु देश में

**बच्चों की संख्या : 47%**
**बच्चों के लिए बजट : 20%**

ये अधिकार किस हद तक लागू हो रहे हैं, इसका समुचित आंकलन बच्चों के व्यापक विकास से किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा के मुद्दों को शामिल किया जाता है।

**बच्चों का स्वास्थ्य एवं चिकित्साः** एस.आर.एस. 2010 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म के पर 55 है और भारत में यह दर 47 है। राज्य का शिशु (0–6 वर्ष) लिंग अनुपात 914 (2001) से घटकर 883 (2011) हो गया है, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। परन्तु यदि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो राज्य की आर्थिक समीक्षा 2011–12 के अनुसार, राज्य मे कुल 108 चिकित्सालय, 196 औषधालय, 11487 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1565 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एंव 380 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। राज्य में 2019 डॉक्टर एंव 8059 गैर राजपत्रित मेडिकल स्टाफ के पद खाली पड़े हैं । राज्य में ए.न.एम के कुल 14723 पद स्वीकृत हैं जिसमे से 12992 पद कार्यरत है और 1731 पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं ।

**बच्चों का पोषणः** बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास उनके पोषण पर निर्भर करता है। सरकारी आंकडों के अनुसार भारत में 6 वर्ष से कम आयु के 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं व 75 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान की चौथी सी आर एम रिपोर्ट 2010 के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के 44 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं । इसका प्रमुख कारण किसी समय उनका कुपोषित होना है। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में से 70 प्रतिशत बच्चे ऐनीमिया से ग्रस्त हैं। बच्चों में मुख्यतः आयरन, आयोड़ीन एवं विटामिन ए की कमियां पाई जाती हैं।

राज्य में बच्चों के पोषण एंव विकास को ध्यान मे रखकर चलाए जा रहे एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस) कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य में कुल 54915 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 52628 ही कार्यरत हैं और 2287 आंगनवाड़ी केन्द्र अभी कार्यरत नहीं हैं । राज्य में कुल 419 सी.डी.पी.ओ एंव ए.सी.डी.पी.ओ के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 214 पद खाली हैं । महिला पर्यवेक्षक के 2232 स्वीकृत पदों में से 1633 ही भरे हैं और 599 पद अभी भी खाली हैं ।

**बच्चों की शिक्षाः** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत दर्ज की गई जो कि वर्ष 1991 में 38.55 प्रतिशत थी। वर्ष 2010 मे राज्य बच्चों की नांमकन दर प्राथमिक स्तर पर 87.3 प्रतिशत एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर 55.0 प्रतिशत थी। सर्व शिक्षा अभियान प्रतिवेदन 2010 के अनुसार, राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 119.70 लाख के करीब है, जिनमें से 13. 72 लाख छात्र/छात्राएं विद्यालय से वंचित हैं जो कुल बच्चों का 11.47 प्रतिशत हैं। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर 10.54 प्रतिशत है, जिसमें छात्राओं में 10.72 प्रतिशत एवं छात्रों में 10.39 प्रतिशत है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 2010–11 के प्रतिवेदन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के करीब 2.6 प्रतिशत विद्यालयों में राजकीय भवन नहीं हैं एवं 9 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा का अभाव है। करीब 6.5 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा का अभाव है एवं करीब 64 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली की सुविधा का अभाव है। इसी प्रकार से तकरीबन 22 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं हैं एवं करीब 39 प्रतिशत विद्यालयों में चार दीवारी नहीं है। डाइस डेटा 2010–11 के अनुसार राज्य में करीब 15.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जो मात्र 1 अध्यापक के सहारे चल रहे हैं एवं करीब 2.4 प्रतिशत से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें मात्र 1 कक्षा–कक्ष है। यह समस्या प्राथमिक विद्यालयों में अधिक है। राज्य के करीब 31 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 1 अध्यापक है एवं करीब 5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 1 कक्षा–कक्ष है।

**बाल सुरक्षा** : बाल श्रम बच्चों के विकास एंव सुरक्षा के रास्ते में एक बड़ी समस्या है। राजस्थान भारत में बाल श्रम में तीसरे स्थान पर है । एन.एस.एस.ओ. के 61वें दौर (2004–05) के आकड़ों के अनुसार राज्य में 5 से 14 वर्ष के 22.8 प्रतिशत बच्चे (लगभग 34.88 लाख) को बालश्रमिक पूल की श्रेणी में रखा गया है। यानि हर चार में से एक बच्चा या तो बाल श्रमिक बन चुका है या बनने की प्रक्रिया में है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल श्रमिक जरी, आरी–तारी, जैम पौलिशिंग, कारपेट बनाना, बीड़ी बनाना, कृषि व्यवसाय, ईट भट्ठों घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने, भिक्षावृति. ढाबों , चाय की दुकान खादानों आदि में मौजुद है। बहुत सारे बच्चे प्रत्येक वर्ष काम की तलाश में सीमावर्ती राज्यों जैसे गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में प्रवास करते हैं ।

बच्चों की सुरक्षा से सम्बधित अन्य समस्या बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा है। एन.सी.आर.बी 2010 के अनुसार, भारत मे बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की 26694 घटनाए दर्ज की गई हैं । राजस्थान मे यह सख्या 1318 है। बच्चों का यौन उत्पीड़न इनमें से एक प्रमुख अपराध है। राजस्थान पुलिस एंव राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 27 दिसम्बर 2012 को आयोजित एक कार्यशाला में आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 100 में से 66 बच्चों के साथ यौन उत्पीडन होता है । एन.सी.आर.बी 2010 के अनुसार, राज्य में 2010 तक 369 बलत्कार के केस दर्ज हुए हैं । आज भी राजस्थान में बाल विवाह, जैसी कुरीतियां मौजूद हैं जो सामाजिक परिवेश में बच्चों से उनका बचपन छीन रही हैं। बालिकाओं का तिरस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व कन्या भ्रूण हत्या के रूप में एवं जन्म के बाद अस्पतालों और सड़कों पर छोड़ देने के रूप मे लगातार चल रही है। राज्य में अनाथ और बेसहारा बच्चों को गिनती बढ़ती जा रही है।

**बच्चों के लिए बजटीय प्रावधान** :– 2012–13 में राज्य सरकार द्वारा रखे गए कुल बजट में से 19.47 प्रतिशत बजट बच्चों की विभिन्न योजनाओं एवं विकास सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए रखा गया है। बच्चों के लिए रखे गए इस बजट से 89.67 प्रतिशत बच्चों की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर खर्च होना अनुमानित है। शिक्षा के पश्चात बजटीय प्रावधान में पोषण सरकार की दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। बच्चों के लिए कुल बजट मे से पोषण के लिए 9.33 प्रतिशत बजट का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सेवाओं के अर्न्तगत बच्चों के लिए रखा गया बजट उनके लिये उपलब्ध कुल बजट का 0.91 प्रतिशत है। बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे नजर बाल श्रमिक कल्याण के लिए बहुत कम 0.002 प्रतिशत बजट की व्यवस्था है जो नग्ण्य है। बाल सुरक्षा के लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य पर रखे गए बजट का आंकलन करना कठिन है। बच्चों के स्वास्थ्य का बजट बच्चों के लिए कुल बजट का केवल 0.08 प्रतिशत है, जिसमें केवल बाल अस्पतालों पर व्यय शामिल है ।

बच्चों के लिए रखे गए बजट का सही तरह से आंकलन करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह बच्चों के लिए बजट विवरण जारी करना चाहिए, जिससे बच्चों के अधिकारों का रक्षा के कार्यक्रमों/योजनाओं तथा उसके लिए आंवटित बजट का ठीक से आंकलन किया जा सके।

राज्य के कुल बजट मे बच्चों के लिए रखे गए बजट एंव बच्चों की वर्तमान स्थति के आंकलन से स्पष्ट होता है कि रखा गया यह बजट पर्याप्त नहीं है । राज्य में बच्चों की कुल जनसख्या 47 प्रतिशत है जबकि उनके लिए बजट केवल 19.47 प्रतिशत ही है। जिसमें से अधिकतर बजट शिक्षा (लगभग 90 प्रतिशत) एंव पोषण (लगभग 9 प्रतिशत) के लिए रखा गया है । शिक्षा के अधिकार कानून के मापदंडों के अनुसार राज्य के विद्यालयों की स्थिति काफी खराब है, जिससे स्पष्ट हैं कि इसके लिए रखा गया बजट भी अपर्याप्त है। स्वास्थ्य एंव चिकित्सा पर बच्चों के लिए रखे गए राज्य बजट को सही प्रकार से आंकलित नहीं किया जा सकता, परन्तु डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को देखकर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चों में पोषण राज्य सरकार की दूसरी प्राथमिकता लगती है परन्तु आंगनवाड़ी कार्यकताओं सी.डी.पी.ओ एवं अन्य अधिकारियों के पद खाली हैं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी व्यवस्थाए अपर्याप्त हैं । राज्य में बच्चों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान नही हैं । अतः बच्चों के लिए रखा गया बजट बच्चों की वर्तमान स्थिति के अनुसार सीमित है । अत्यंत सीमित बजट प्रावधानों के परिणामस्वरुप राज्य मे बच्चों की वर्तमान स्थति संतोषजनक नहीं है । बच्चों की वर्तमान स्थति देखते हुए आज एक व्यापक बाल सुरक्षा नीति बनाने की आवश्कता है एंव बजट में बच्चों की चिकित्सा, पोषण, विकास, शिक्षा एंव सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की आवश्कता है ।

# कृषि सम्मेलन एवं बजट पूर्व कार्यशाला के दौरान उभरी कृषि से संबंधित मांगे एवं अपेक्षाएं

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2012 को राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य की ड्राफ्ट कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जलवायु परिवर्तन तथा राज्य सरकार की जलवायु परिवर्तन की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

इसके पूर्व दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को राज्य संदर्भ केन्द्र, जयपुर में एवं 20 नवम्बर 2012 को विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर में राज्य की स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ बजट पूर्व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था जिसमें अन्य मुद्दों के साथ कृषि पर भी चर्चा की गई।

यहां बार्क के बजट पूर्व कार्यशालाओं तथा कृषि सम्मेलन में उभरे कृषि से संबंधित चिंताओं, सुझावों तथा मांगों को प्रस्तुत किया जा रहा है। बार्क द्वारा इन सुझावों तथा मांगों को कृषि विभाग एवं राजस्थान किसान आयोग को प्रेषित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा तैयार कृषि नीति में पंचायतों को शामिल नहीं किया गया है। अतः सरकार कृषि नीति में पंचायतों की भूमिका को स्पष्ट करे।
- राज्य में कृषि की कार्ययोजना गांव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अलग अलग तैयार हो तथा सरकार सरकार उसे राज्य आयोजना में शामिल करे।
- राज्य अपनी कृषि योजना एग्रो क्लाईमेटिक जोन को ध्यान में रखते हुये तैयार करे।
- राज्य सरकार समस्त कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित करे।
- सरकार किसानों को उनकी उपज के निर्धारित मूल्य के प्राप्त होने की गारंटी दे।
- अनावृष्टि या अतिवृष्टि की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा फसल नुकसान के मुआवजे में दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाये।
- सरकार बीज वितरण के लिये निजी कंपनियों पर निर्भरता को कम करे।
- सरकार कृषि एवं बीज वितरण से संबंधित कार्यक्रमों में वितरण की प्रणाली में सुधार करे।
- राज्य में निजी कंम्पनियों के बीज उपयोग करने की स्थिति में फसल का नुकसान होने पर निजी कंम्पनियों की जवाबदेही तय की जाये तथा मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाये।
- सरकार सुनिश्चित करे कि बांधों (डैम) के जल का उपयोग सर्वप्रथम सिंचाई में उसके पश्चात पेयजल के किया जाये।
- सरकार राज्य में बंजर भूमि के विकास के लिये 'वेस्ट लैंड बोर्ड' का गठन करे।
- सरकार रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से राज्य में कोल्ड स्टोरेज भवनों का निर्माण करवाये।
- चारागाह विकास हेतु आवश्यक कुंआ निर्माण को नरेगा के अंतर्गत करवाया जाये।
- राज्य के खेतीहर किसानों के लिये परिवहन सेवाओं का विकास किया जाये ताकि वे अपनी उपज को सही समय पर बाजार में बेच सकें।
- सरकार पशुपालन एवं कृषि को जोड़ने के कार्यक्रम चलाये तथा पशुपालन को आजीविका कमाने के साधन के रूप में विकसित करे।
- सरकार क्लाईमेट एक्शन प्लान का क्रियान्वयन करने की योजना बनाये तथा कृषि से इसका जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान दिया जाये।
- सरकार क्लाईमेट एक्शन प्लान के संबंध में आमजन के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाये।
- सरकार उर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाये तथा उर्जा के अन्य स्रोतों जैसे–सौलर एवं पवन उर्जा के विकास के कार्यक्रम चलाये।
- सरकार राज्य में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर जोर दे।
- सरकार आर.के.वी.के. एवं आईसोपोम जैसे कार्यक्रमों तक आम किसान की पहुंच बनाने का प्रयास करे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों की भूमि पर चारदीवारी की व्यवस्था की जाए तथा चारागाह पर अतिक्रमण से संबंधित कानूनों को सख्त किया जाये।
- सरकार कृषि नीति में महिला कृषकों एवं कृषि मजदूरों की भागीदारी के लिये उचित प्रावधान रखे।
- सरकार महिलाओं के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिये उचित प्रावधान बनाये।

# राजस्थान किसान आयोग ने प्रेषित किया प्रथम प्रतिवेदन

राज्य में कृषि एवं संबधित क्षेत्रों की समस्याओं की जांच एवं समीक्षा कर इनके टिकाउ विकास हेतु सलाह लेने के लिये राजस्थान सरकार ने किसान आयोग का गठन किया। 21 नवंबर, 2011 को सीकर के विधायक नारायण सिंह को राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इसके उपरांत 15 फरवरी, 2012 को आयोग के 8 सदस्यों का मनोनयन किया गया। किसान आयोग से यह अपेक्षित है कि वह राज्य में किसानों, पशुपालकों, कृषि मजदूरों आदि की समस्याओं की जांच हेतु किसानों, किसान युनियनों व संगठनों से वार्ता करे। तथा कृषि पैदावार बढाने, कृषि हेतु ऋण, आदानों, उत्पादन का उचित मुल्य एवं किसानों के दशा सुधारने तथा अन्य मुद्दों की समीक्षा, नीतिगत निर्णयों के संबंध में सरकार को अवगत कराये।

इस दिशा में राज्य किसान आयोग ने 27 फरवरी, 2012 को पहली बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि किसान आयोग राज्य की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि एवं संबधित क्षेत्रों की समस्याओं को जानने हेतु संभागवार बैठकें आयोजित करेगा। इन बैठकों में किसानों एवं पशुपालकों के अलावा इनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से जुड़े विभागों जैसे– कृषि, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, विद्युत, विपणन आदि के अधिकारियों से विचार–विमर्श करना प्रस्तावित किया गया। अभी तक किसान आयोग राज्य में सात बैठकें कर चुका है। आयोग द्वारा जून, 2012 तक बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर संभाग में कृषक संवाद कार्यक्रमों के आधार पर अपना प्रथम प्रतिवेदन तैयार किया गया। जिसमें आयोग ने कृषि से जुड़ी समस्याओं एवं बढती महंगाई, गिरते भूजल स्तर, प्राकृतिक आपदाओं, उपज के उचित मूल्य के अभाव, आदानों की बढती कीमतें, विपणन एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव आदि समस्याओं पर अपनी अनुसंशाएं दी हैं। इस प्रतिवेदन को आयोग द्वारा 21 जून, 2012 को राज्य के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। आयोग द्वारा प्रेषित प्रथम प्रतिवेदन में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु दी गई अनुसंशाओं का विवरण निम्नानुसार है :

- मंडियों में किसानों के ठहरने, उत्पाद की गुणवत्ता जांचने एवं प्रसंस्करण सुविधाओं तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाये।
- मंडी यार्ड में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो ताकि सब्जी उत्पादक कृषकों को उचित दरें मिल सके।
- किसानों की वास्तविक लागत का अध्ययन कर समर्थन मूल्य तय किया जाये।
- राज्य में प्रमुख खरीफ फसलों– मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली आदि के बीजों की मात्रा बुवाई के समय पर्याप्त नहीं रहती है। अतः राज्य के बीज निगम राज्य की जलवायु एवं मृदा के अनुसार बीजों का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध करवाये।
- बीज उत्पादन कार्यक्रमों में लघु, सीमांत एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति किसानों का रुझान बढ़ाने के लिये सामूहिक खेती को बढावा दिया जाये।
- पीक सीजन में उर्वरकों की अपर्याप्ता, उंची दरों एवं कालाबाजारी की समस्या से निबटने हेतु उर्वरकों के परिहन पर कृषि विभाग का नियंत्रण हो। इसके साथ विभाग द्वारा ही क्षेत्र की आवश्यकतानुसार निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध करवाये जायें।
- मौसम आधारित कृषि बीमा/राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य की परिस्थितियों के अनुकुल हो तथा इसके क्षति आंकलन के तरीके को सुधारकर समय पर मुआवजा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- कृषि कार्य करते हुये किसान की मृत्यु हो जाने पर कृषक दुर्घटना बीमा के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को बढाकर 5 लाख रू. किया जाये तथा कोमा में जाने पर निःशुल्क ईलाज के साथ 3 हजार रू. प्रतिमाह पेंशन दी जाये।
- पशुपालकों के सभी उपयोगी पशुओं के लिये बीमा योजना लागू की जानी चाहिये।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रु. की जाये।
- भूमि अधिग्रहण के तहत कम उपजाऊ एवं बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाये। इसके अलावा डी.एल.सी. की दर बढ़ाई जाये ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।
- राज्य में घटते भूजल स्तर एवं पानी की कमी को ध्यान में रखते हुये जल के विवेकपूर्ण, न्यायसंगत एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग हेतु ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाये।
- किसानों को कृषि कार्य हेतु प्रति दिन 6–8 घंटे बिना रुकावट के बिजली प्रदान की जाये।
- बागवानी विकास के लिये आधारभूत एवं तकनीकी सुविधाओं के विकास के साथ इसके लिये किसानों को प्रशिक्षण एवं अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति किसानों के अतिरिक्त सामान्य किसानों को भी व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रमों से लाभांवित किया जाये।
- राज्य में कृषि पैदावार एवं कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुये राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये।

अतः राजस्थान किसान आयोग ने राज्य में कृषि से जुड़ी समस्याओं एवं इन पर अपनी उपरोक्त अनुसंशाओं पर आधारित प्रतिवेदन 21 जून, 2012 को राज्य सरकार को सौंप दिया है। इसमें की गई सिफारिशों को राज्य सरकार ने मान लिया है। यह प्रतिवेदन किसान आयोग की वेबसाईट (http://www.rajkisanayog.com) पर है।


संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– अमनदीप कौर
– किर्ती टाक
सहयोग – सीताराम मीणा
– अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव



विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पक्र कर सकते हैं :–

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org


# राजस्थान में जेण्डर बजट की समीक्षा तथा इसे और उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव

***नोटः– यहां राज्य आयोजना समिति द्वारा जेण्डर बजट पर गठित कार्यकारी समूह के समक्ष रखे गए सुझावों को थोडे परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया है।***

राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की गई। लेकिन श्रेणी कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दी गई।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 के अनुसार, लगभग एक–तिहाई कार्यक्रम/योजनाओं में 30% से कम महिला लाभान्वित्त हैं। केवल 13% योजनाओं/कार्यक्रमों में 70% से अधिक महिला लाभन्वित्त हैं तथा शेष कार्यक्रमों में 30–70% महिला लाभान्वित्त हैं।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 के अनुसार, राज्य में कुल गैर योजना बजट का 19%, योजना गत बजट का 33% तथा केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में 51% आवंटन को जेण्डर बजट आवंटन बताया गया है।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 की समस्याएँ

जेण्डर बजट 2012–13 में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (BFC) वार सूचना दी गयी है। लेकिन सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी BFCs हैं, इसलिए किसी विभाग के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

**बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के सुझाव**

**कुछ सामान्य मुद्दे**

- महिलाओं कि भूमिका प्रजनन तथा उत्पादन दोनों ही से संबंधित है। अतः सरकार के सभी अंग/ सेवायें –सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवायें – उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाएँ एक समान समूह नहीं हैं तथा उनमें वर्ग, जात, आयु वैवाहिक स्थिति आदि जैसी विभिन्नताएं मौजूद हैं।
- जेण्डर बजटिंग का उद्देश्य सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को जेण्डर संवेदनशील बनाना है न कि महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रमों को ठीक से लागू भर करना।

**जेण्डर बजट विवरण को प्रभावी बनाने तथा राज्य में जेण्डर संवेदनशील बजट बनाने के लिये कुछ सुझाव**

- सभी विभागों को अपने गतिविधीयों के जेण्डर प्रभावों का अध्ययन करना चाहिये, तथा इसके आधार पर जेण्डर संवेदनशील बजट बनाया जाना चाहिए।
- जेण्डर बजट विवरण विभागवार और/ या मुख्य शीर्षवार उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- श्रेणी पूरे योजना / कार्यक्रम को दी जानी चाहिए न कि उनके तीन भागों को।
- लाभार्थियों के लिंगवार ऑकड़े इकठ्ठा किए जाने चाहिए तथा उनको जेण्डर बजट का आधार बनाया जाना चाहिए।
- जेण्डर बजट विवरण को स्पष्ट करने हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण नोट दिया जाना चाहिए।
- श्रेणी B का दायरा काफी बढ़ा (30–70%) है अतः इसे दो भागों में बांटा जा सकता है।
- जेण्डर सेल/डेस्कः सभी जेण्डर सेल/डेस्क बना सकते हैं जो निम्न कार्य कर सकता हैं।
  - संबंधित विभाग के योजनाओं/कार्यक्रमों में जेण्डर की दृष्टि से व्याप्त कमियों का अध्ययन करना।
  - विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों को जेण्डर संवेदशील बनाने के उपाय बताना।
  - विभाग के लिए जेण्डर बजट विवरण तैयार करना।
  - यदि ज़रूरी हो तो नए कार्यक्रम बनाना।
- सभी विभागों को अपने वार्षिक रिपोर्ट में जेण्डर संवेदशीलता पर एक अध्याय जोड़ना चाहिए।
- राज्य के मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में जारी एक प्रपत्र में जेण्डर तटस्थ (Gender neutral Sectors) क्षेत्रों की चर्चा की गयी है।
- इन जेण्डर तटस्थ योजनाओं का महिलाओं पर होने वाले प्रभावों की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे :
  - शहरी विकास/शहरी नियोजना में शहरों में महिलाओं के लिए जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उपाय किए जा सकते हैं।
  - आधारभूत संरचना वाले परियोजनाओं (सड़क, बांध, सिंचाई आदि) में रोजगार सृजन में महिलाओं का हिस्सा तथा कार्य स्थिति को महिला मजदूरों के अनुकूल बनाने के प्रयासों को जेण्डर बजट का आधार बनाया जा सकता है।
  - गृह विभाग पुलिस को जेण्डर संवेदनशीलता तथा महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर प्रशिक्षण करवा सकता है।
- कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या के बजाय उन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को जेण्डर बजट का आधार बनाया जा सकता है। जैसे पुलिस का जेण्डर संवेदशीलता प्रशिक्षण
- जेण्डर तटस्थ कार्यक्रमों की संख्या अत्यंत सीमित होनी चाहिए।

**राजस्व विभाग**

- भू राजस्व तथा अन्य राजस्व विभागों को भी अपनी नीतियों के जेण्डर प्रभावों का ऑकलन करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए भू राजस्व नीति क्या महिलाओं के संपति के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- क्या एकल व विधवा महिलाओं के भू अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है।
- अन्य राजस्व, जैसे उपयोग शुल्क – कहीं यह महिलाओं की उन सेवाओं तक पहुँच कम तो नहीं कर रहे हैं।

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....